संख्या–3063 / 14–2–2017–800(143) / 2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 03 जनवरी 2018

विषयः– लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ , बाराबंकी सुल्तानपुर आजमगढ़ मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 17.5714 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1520 / 11–सी / एफपी / यूपी / रोड / 28804 / 2017, ,दिनांक–05–12–2017 तथा पत्र दिनांक 22–12–2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ , बाराबंकी सुल्तानपुर आजमगढ़ मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 17.5714 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–3063 (1) / 14–2–2017–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3– वन संरक्षक,फैजाबाद, आजमगढ़ तथा वाराणसी।
4– जिलाधिकारी लखनऊ बाराबंकी आजमगढ़,सुल्तानपुर, मऊ एवं गाजीपुर।
5– प्रभागीय निदेशक / प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ बाराबंकी आजमगढ़,सुल्तानपुर, मऊ एवं गाजीपुर।
6– उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा) उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण विपिन खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव